न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 50/2015/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 7.5.2015
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. राजेन्द्रकुमार आ0 घनश्याम जाति ब्राहमण निवासी कुवांरती हाल निवास ब्रहमपुरी तहसील व जिला बूंदी राज0।

....अपीलाट

बनाम

1. सत्यनारायण उर्फ गोपाल आ0 चौथमल जाति ब्राहमण निवासी नांता हाल 95 रेतवाली कोटा, तह0 लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
2. ओमप्रकाश आ0 चौथमल जाति ब्राहमण निवासी नांता हाल किशोरपुरा हाडौती स्कूल के पास कोटा जिला कोटा (राज0)।
3. चन्द्रकांता पुत्री चौथमल जाति ब्राहमण नि0 3–प–29 विज्ञाननगर कोटा तह0 लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायम मुकामान–

3/1–बालमुकन्द पि0 किशनलाल जाति ब्राहमण निवासी 3–प–29 विज्ञाननगर कोटा।
3/2–कृष्णमोहन शर्मा पुत्र चन्द्रकांता जाति ब्राहमण निवासी 3–प–29 विज्ञाननगर कोटा।
3/3–मनमोहन पुत्र चन्द्रकांता जाति ब्राहमण निवासी 3–प–29 विज्ञाननगर कोटा।
3/4–सुधीर कुमार शर्मा पुत्र चन्द्रकांता जाति ब्राहमण निवासी 3–प–29 विज्ञाननगर कोटा।

4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बूंदी (राज0)।

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री अजय गौतम अभिभाषक अपीलार्थी

:::निर्णय:::

दिनांक 21.11.2017

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल सं0 12/अपील/11 अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान राजेन्द्र कुमार बनाम सत्यनारायण सिंह उर्फ गोपाल आ0 चौथमल आदि मे पारित निर्णय दिनांक 9.12.2014 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि तहसीलदार बूंदी द्वारा आदेश कमांक 9808 दिनांक 22.10.10 की पालना मे ग्राम कुवांरती तह0 बूंदी स्थित भूमि रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा राजेन्द्र कुमार आ0 घनश्याम बूंदी का रहन हटाने बावत पारित आदेश की पालना मे तहसीलदार बूंदी द्वारा पारित नामान्तरकरण सख्या 759 दिनांक 4.11.2010 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी के यहां अपील पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी राज0

अति० स० आयु०
कोटा

काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व रामकिशन आ0 बल्मा जाति ब्राहमण के नि0 नान्ता के खाते मे थी अपीलांट के पिता घनश्याम विवादित भूमि पर मूर्तहीन बिल कब्ज दर्ज थे जिसका इन्द्राज बूंदी रियासत की बन्दोबस्त पानडी मे दर्ज है। रामकिशन की मृत्यु के बाद भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज होती रही है। रेस्पो0 सं0 1 से 3 ने रहन हटाने का आवेदन पत्र तहसीलदार बूंदी यहां प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तहसीलदार बूंदी ने नामान्तरकरण सं0 759 दिनांक 4.11.2010 से रहन का इन्द्राज विलोपित कर दिया जो विधि विरूद्ध है क्योंकि रहन का इन्द्राज तहसीलदार नहीं हटा सकता है अपितु नियमित वाद के माध्यम से ही किया जा सकता है। विवादित भूमि करीब 100 वर्ष से अपीलांट के पास मु.बि.क. चली आ रही थी रहन हटाने की मियाद समाप्त हो चुकी थी। तहसीलदार बूंदी ने अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर रहन का इन्द्राज हटाया है जो नियम विरूद्ध है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नामा0 मे कोई विधिक दोष नही होने से अपील अपीलांट सारहीन होने से निर्णय दिनांक 9.12.2014 से खारिज की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश कर जिला कलक्टर बूंदी एवं तहसीलदार बूंदी का निर्णय वस्तुस्थिति, तथ्यो एवं विधि तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त होना वर्णित करते हुये अपील मे अभिलिखित किया कि तहसीलदार बूंदी द्वारा नामा0 अपीलांट को बिना सुनवाई के पारित किया था ऐसी स्थिति मे प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रकरण रिमांड करना चाहिये था। अपीलांट राज0 काश्तकारी अधिनियम के पूर्व से ही मूर्तहीन बिल कब्ज होने के कारण कानूनन उक्त भूमि का खातेदार हो चुका है उक्त भूमि के बावत अंकित खातेदारान को कोई हक नही रहे थे अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को जानबूझ कर नजरअंदाज कर आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाकर विवादित नामा0 सं0 759 दिनांक 4.11.2010 निरस्त कर राईट्स ऑफ रिकार्ड के इन्द्राज पूर्ववत रखे जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया रेस्पो0 को जरिये नोटिस व रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस से तलब किया गया किन्तु तामील नही होने पर जरिये अखबार राष्ट्रदूत दिनांक 10.9.17 को तामील हेतु नोटिस साया कर प्रकाशित किये जाने उपरांत भी रेस्पो0 के प्रकरण मे उपस्थित नही होने उपरांत उनकी तामील पूर्ण मानी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मिमो मे वर्णित तथ्यो पर प्रकाश डालते हुये कथन किया कि तहसीलदार बूंदी का निर्णय वस्तुस्थिति, तथ्यो एवं विधि के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है क्योंकि विवादित भूमि पर अपीलांट एंव उसके पूर्वज 80–100 वर्षो से काबिज काश्त है तथा राज0 काश्तकारी अधिनियम के पूर्व से ही मूर्तहीन बिल कब्ज होने के कारण कानूनन उक्त भूमि का अपीलांट खातेदार हो चुका है उक्त भूमि के बावत अंकित खातेदारान को कोई हक नही रहे थे रहन का इन्द्राज विलोपित करने का तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है। रहन का इन्द्राज नियमित वाद के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणो का विवेचन नहीं किया। राज0 काश्तकारी अधि0 की धारा 43 उप धारा (4) मे रहन हटाने का तहसीलदार को कोई अधिकार नहीं है। नामा0 759 तस्दीक करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया इस कारण तहसीलदार बूंदी का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यो को जानबूझ कर नजरअंदाज कर जेरअपील निर्णय 9.12.2014 से अपील अपीलांट खारिज करने मे त्रुटि की है जबकि उक्त तथ्यों परिपेक्ष्य मे प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रकरण रिमांड करना चाहिये था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर विवादित

राज० स० आयु०
कोटा

नामा0 सं0 759 दिनांक 4.11.2010 निरस्त कर राईट्स ऑफ रिकार्ड के इन्द्राज पूर्ववत रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

4 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस एक पक्षीय विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 9.12.2014 का अवलोकन किया। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि विवादित आराजी पर रहन का अंकन राज0 काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व का है इस कारण रहन का इन्द्राज विलोपित करने का अधिकार तहसीलदार को नही होकर नियमित वाद के माध्यम से ही किया जा सकता है। विवादित आराजी पर कब्जे की जांच नही की तथा नामा0 तस्दीक करने से पूर्व तहसीलदार ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। राज0 काश्तकारी अधि0 की धारा 43 उप धारा (4) मे रहन हटाने का तहसीलदार को अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गोर नहीं किया। अपीलार्थी के उक्त तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 (4) का अवलोकन कर ''राज0 काश्त0 अधिनियम के लागू होने से पूर्व किया गया रहन, रहन की तारीख से तीस वर्ष समाप्त होने पर बिना राशि अदा किये भूमि रहन मुक्त समझी जावेगी। '' के आलोक मे पारित किया है। अतः उक्त विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य मे प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का तर्क विधि सम्मत नहीं माना जा सकता क्योंकि हस्तगत प्रकरण मे रहन 30 वर्ष से अधिक अवधि का होने से स्वतः ही प्रभाव शून्य होने से तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2010 एवं उसकी पालना मे खोले गये नामान्तरण संख्या 759 दिनांक 4.11.2010 को नियम विरूद्ध नहीं माना जा सकता। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जेरअपील निर्णय दिनांक 9.12.2014 राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 (4) का अवलोकन करते हुये निहित प्रावधानो के परिपेक्ष्य मे पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण मे तहसीलदार ने राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 (4) मे निहित प्रावधानो के अनुसार भूमि को रहन मुक्त किया तथा रहन मुक्ति आदेश की पालना मे नामान्तरकरण सं0 759 दिनांक 4.11.2010 तस्दीक किया जिसमे किसी प्रकार का विधिक दोष निहित नही है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी साहरहीन होने से खारिज योग्य है।

5 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा